Research Reinforcement | A Peer Reviewed International Refereed Journal | ISSN 2348-3857
Vol. 11, Issue 2 | November 2023 - April 2024 | pp. 119-124

भारतीय निर्वाचन व्यवस्था पर प्रश्न चिह्न : अपराधीकरण

डॉ. ईश्वर चन्द्र शर्मा

सह आचार्य, राजनीति विज्ञान
राजकीय स्नातकोतर कन्या महाविद्यालय, मगरा पूंजला, जोधपुर (राजस्थान)

शोध सारांश

आजादी का अमृत महोत्सव मनाते भारत में विभिन्न आम चुनावों में अपनी राजनीतिक परिपक्वता को प्रदर्शित किया है। भारतीय राजनीति में लोकसभा चुनावों का इतिहास 1952 से ज्यों-ज्यों आगे बढ़ा और 2024 के 17वीं लोकसभा चुनावों तक पहुंचा त्यों-त्यों इन चुनावों में कई नई प्रवृत्तियां बलवती होती गईं, वहीं साथ ही कई ऐसी प्रवृत्तियों ने जन्म लिया जो सम्पूर्ण लोकतान्त्रिक व्यवस्था एवं लोकसभा चुनावों की प्रक्रिया को ही चुनौती देती नजर आईं। इन चुनौती देती प्रवृत्तियों में से प्रमुख प्रवृत्ति राजनीति के अपराधीकरण की है। राजनीति के अपराधीकरण में जहाँ पहले राजनेताओं द्वारा आपराधिक तत्वों का सहारा लिया जाता था, वहीं अब आपराधिक तत्व स्वयं चुनाव लड़ने लगे हैं, और राजनीति में सक्रिय होने लगे हैं। बाहुबलियों एवं अपराधियों के चुनाव में बढ़ते प्रभाव के लिए कोई एक दल मात्र जिम्मेदार नहीं है, अपितु लगभग सभी दल समान रूप से उत्तरदायी कहे जा सकते हैं। इस कारण भारतीय निर्वाचन व्यवस्था भी प्रदूषित होने लगी है। इस शोध-पत्र में यह बताने की प्रयास किया गया है कि भारत में राजनीति के अपराधीकरण का स्वरूप क्या है?, उसके कारण क्या है? उसके प्रभाव क्या है? और वह निर्वाचन व्यवस्था की पवित्रता को कैसे प्रभावित करता है?

संकेताक्षर—*अपराधीकरण, निर्वाचन व्यवस्था, आपराधिक तत्व, हिंसा*

प्रस्तावना

भारतीय राजनीति में लोकसभा चुनावों का इतिहास 1952 से ज्यों-ज्यों आगे बढ़ा और 2024 के 17वीं लोकसभा चुनावों तक पहुंचा त्यों-त्यों इन चुनावों में कई नई प्रवृत्तियां बलवती होती गईं, वहीं साथ ही कई ऐसी प्रवृत्तियों ने जन्म लिया जो सम्पूर्ण लोकतांन्त्रिक व्यवस्था एवं लोकसभा चुनावों की प्रक्रिया को ही चुनौती देती नजर आईं। इन चुनौती देती प्रवृत्तियों में से प्रमुख प्रवृत्ति राजनीति के अपराधीकरण की है। राजनीति के अपराधीकरण में जहाँ पहले राजनेताओं द्वारा आपराधिक तत्वों का सहारा लिया जाता था, वहीं अब आपराधिक तत्व स्वयं चुनाव लड़ने लगे हैं, और राजनीति में सक्रिय होने लगे है। इस कारण भारतीय निर्वाचन व्यवस्था भी प्रदूषित होने लगी है।

बाहुबलियों एवं आपराधिक तत्वों में वृद्धि

चुनावों में बाहुबलियों एवं आपराधिक तत्वों की संख्या में लगातार हो रही वृद्धि भी भारतीय लोकसभा चुनावों की एक उभरती हुई, प्रवृत्ति कही जा सकती है। प्रारम्भ में राजनीतिज्ञों द्वारा अपराधियों की मदद से चुनावों में सफलता प्राप्त की जाने की कोशिशें होती थी। अपने विरोधियों को परास्त करने के लिए या ब्लैकमेल करने के लिए आपराधिक तत्वों का सहारा लिया जाता था। किन्तु अब तो धीरे-धीरे चुनावों में सीधे तौर पर ऐसे व्यक्ति उम्मीदवार बनने लगे हैं, जिन पर गंभीर आपराधिक मुकदमे दर्ज होते हैं एवं न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन होते हैं। ऐसे अपराधिक तत्व न केवल उम्मीदवार बनते है बल्कि येन-केन प्रकारेण चुनाव जीतकर संसद तक पहुंच जाते है और मन्त्रिपद भी हासिल कर लेते हैं। इसलिए कहा जा सकता है

कि न केवल राजनीति का अपराधीकरण हो रहा है। अपितु अपराधियों का भी राजनीतिकरण हो रहा है। बाहुबलियों एवं अपराधियों के चुनाव में बढ़ते प्रभाव के लिए कोई एक दल मात्र जिम्मेदार नहीं है, अपितु लगभग सभी दल समान रूप से उत्तरदायी कहे जा सकते हैं। इन अपराधियों द्वारा फर्जी मतदान, मतदान केन्द्रों पर कब्जा, विरोधी मतदाताओं को वोट न डालने देना, धमकी, मारपीट व गुण्डागर्दी जैसे कृत्यों को आम चुनावों के समय अंजाम दिया जाता है। जिसके कारण कई बार चुनाव आयोग को पुनर्मतदान भी करवाने पड़ते हैं।

शुरू में बाहुबलियों एवं आपराधिक तत्वों का राज्य विधानसभाओं में ही बोल-बाला था, किन्तु संसद में भी 1989 से ही अपराधिक तत्वों ने प्रवेश ले लिया है। चुनाव आयुक्त जी.वी.जी. कृष्णमूर्ति ने 20 अगस्त 1997 को प्रेस प्रतिनिधियों को सम्बोधित करते हुए कहा कि "रिकॉर्ड के अनुसार 40 सांसदों पर न्यायालयों में आपराधिक मुकद्दमें चल रहे हैं, जबकि राज्य विधानसभाओं के 4072 में से लगभग 700 सदस्यों पर फौजदारी मुकदमें है।"[1] 14वीं लोकसभा के लगभग 128 सांसद आपराधिक मामलो के कठघरे में खड़े बताये गये। इनमें से लगभग आधे सांसद ऐसे आरोपों का सामना कर रहे बताये गये, जिनके साबित होने पर पांच वर्ष या इससे अधिक जेल की हवा खानी पड़ सकती है। आपराधिक मामले वाले सांसदों की संख्या के मामले में रा.ज.द. दल अव्वल स्थान पर रहा जिसके 43.5 प्रतिशत सांसद ऐसे आरोपों के कठघरे में थे। दूसरे स्थान पर बसपा (27.8 प्रतिशत) और फिर समाजवादी पार्टी (19.4 प्रतिशत) का नम्बर था।"[2] "इण्डिया टुडे में बताए गए आंकड़े यह रेखांकित करते है कि 15वीं लोकसभा 2009 में आपराधिक छवि वाले सांसदों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। और आपराधिक आरोपों वाले ऐसे सांसदों की संख्या चिन्ताजनक रूप से 153 है। कांग्रेस के पास ऐसे 41 सांसद है और दूसरों से अलग बताने वाली भाजपा इस सूची में सबसे ऊपर है। जिसके पास आपराधिक छवि वाले सांसदों की संख्या 43 है। इन सांसदों के खिलाफ लम्बित कुल आपराधिक मामलों की संख्या 412 है। 153 में से 72 सांसद ऐसे है, जिनके खिलाफ गम्भीर प्रकृति के आपराधिक मामले लम्बित है और ये मामले भारतीय दण्ड संहिता की 213 गम्भीर प्रकृति की धाराओं के तहत दर्ज है।"[3]

हालाँकि इन चुनावों में मतदाताओं ने कई बाहुबलियों को हराया भी है। नेशनल इलेक्शन वाच का कहना है "मतदाताओं ने अपराधी पृष्ठभूमि वाले कई दिग्गज उम्मीदवारों को रद्द कर दिया है। इनमें अतीक अहमद, मित्रसेन यादव, मुख्तार अंसारी, तस्लीमुद्दीन और मोहम्मद ताहिर, डी.पी. यादव, साधु यादव आदि के नाम प्रमुख हैं।"

हिंसा

भारतीय लोकसभा चुनावों में हिंसा की प्रवृत्ति भी महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। चुनाव से पूर्व हिंसक झड़पें और चुनाव के दिन मतदान केन्द्रों पर कब्जा, मारपीट, नक्सली हिंसा आदि देखने को मिलती है। हालांकि चुनाव आयोग इसे रोकने के लिये काफी मशक्कत करता है और रणनीतीक तैयारियां भी करता है, फिर भी 16वीं लोकसभा तक हुए लगभग सभी चुनावों में इस प्रकार की हिंसक गतिविधियां देखने को मिली है। 15वीं लोकसभा के चुनावों में "निर्वाचन आयोग और सुरक्षातन्त्रों की तमाम कोशिशों के बावजूद मतदान को हिंसा की छाया से बचाया नहीं जा सका। पहले दौर के मतदान के दिन छतीसगढ़ से लेकर झारखण्ड तक और उडीसा से लेकर बिहार तक नक्सली हिंसा में 18 लोग मारे गए जिनमें अधिकांश सुरक्षा कर्मी और मतदान दलों के कर्मचारी थे।"[4] दूसरे, तीसरे, चौथे और पाँचवें चरण के मतदान में भी हिंसक गतिविधियां देखने को मिली। राजस्थान जैसे शान्त कहे जाने वाले प्रदेश में भी जहाँ चतुर्थ चरण में मतदान हुआ था, चुनावी हिंसा हुई। राजस्थान में मतदान के दौरान सवाई माधोपुर जिले में सुरक्षा बलों की गोली लगने से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई, वहीं दौसा जिले के भाण्डारेज में पथराव में विधायक डॉ. करोडीलाल मीणा को चोटें आई। अलवर जिले के किशनगढ बास के पाटन अहीर में पोलिंग पार्टी को बधंक बना लिया गया, वहीं दौसा जिले के भगलाई में पोलिंग पार्टी को किसी के घर में घुस कर जान बचानी पडी। अलवर जिले के बबेरा एवं सहडोली में हथियार छीनने आए लोगो को खदेड़ने के लिए सुरक्षा बलों के जवानों ने सात राउन्ड गोलियां चलाई। राज्य में करीब एक दर्जन स्थानों से अधिक स्थानों पर जातीय संघर्ष, मतदान केन्द्रों पर फर्जी मतदान, मतदान से रोकने और हाथपाई की घटनाएँ हुई।"[5]

"यूं तो हर उम्मीदवार चुनाव परिणाम को जनादेश मानकर शिरोधार्य करता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी है जो मतदाता

को डरा धमकाकर मनचाहा आदेश लिखवाने से भी गुरेज नहीं करते। ऐसे लोगो को तो लोकतान्त्रिक प्रणाली से ही बाहर कर दिया जाना चाहिए। दरअसल ये लोग राजनीति में अपने पदार्पण का उद्देश्य जनसेवा बताते हैं पर उनके मन में कुछ और ही होता है। उन्हें लगता है कि हार गए तो जैसे सर्वस्व ही लुट जाएगा। जबकि बाद में कहते है कि हार-जीत तो लगी रहती है। ऐसे लोग यदि अतीत में जीतते भी रहे तो संदेह यही होता है कि तब भी इन्होंने धांधली से ही विजयी पाई होगी। ऐसे प्रत्याशियों को यह खौफ भी नहीं रहता कि जनता से दुर्व्यवहार करने के बावजूद यदि उन मतदान केन्द्रों पर पुनर्मतदान हुआ, तो उन्हें क्या जबाव मिलेगा। लोकतन्त्र पर प्रहार के बाद भी अगर वे हार गए तो किस मुंह से दुबारा जनता के बीच जाएँगे गोलबंदी कर हिंसा फैलाने वाले यह भी नहीं सोचते कि इसका लोकतन्त्र के यज्ञ को संचालित करने वालों पर क्या मनोवैज्ञानिक दबाव पड़ता है।"[6]

"इन सबके बावजूद अच्छी बात यह है कि देश में लोग हरेक चुनाव में ज्यादा से ज्यादा संख्या में निर्भीक होकर वोट डाल रहे है और लोकतान्त्रिक आस्था मजबूत हो रही है। विश्वास करना चाहिए कि लोग ऐसे शासक चुनेंगे जो हमारे लोकतन्त्र को और निर्दोष बनाएंगे।"[7]

धन बल का प्रभाव

भारत में लोकसभा चुनाव बहुत खर्चीले होते जा रहे हैं। प्रत्याशियों द्वारा चुनाव प्रचार और मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए पैसा पानी की तरह बहाया जाता है, प्रलोभन दिए जाते है। कई स्थानों पर नोट बांटते नेताओं को मीडिया द्वारा केमरे में कैद करके प्रचारित भी किया जाता है। किन्तु बचने की विभिन्न दलीलों के द्वारा वे माफीनामे जैसी छोटी सी सजा के पश्चात बच भी जाते है। हालाँकि लोकसभा एवं विधानसभा चुनावों में अधिकतम खर्च की सीमा का निर्धारण किया गया है। उम्मीदवार द्वारा उसका पूरा विवरण भी प्रस्तुत करना पड़ता है, किन्तु यह महज औपचारिकता बनकर रह गया है। "31 दिसम्बर 2011 को एक अधिसूचना जारी करके प्रत्याशियों द्वारा किए जाने वाले चुनाव व्यय की सीमा में वृद्धि कर दी गई है। अब बड़े लोकसभा क्षेत्र में प्रत्याशी द्वारा अधिकतम 40 लाख रुपये तक तथा विधानसभा क्षेत्रों में अधिकतम 10 लाख रुपये तक व्यय किए जा सकते है।"[8] इससे पूर्व 2007 से यह सीमा लोकसभा चुनावों हेतु 25 लाख रुपये तथा विधानसभा चुनाव हेतु आठ लाख रुपये थी। कानून में यह सीमा विद्यमान है किन्तु व्यावहारिक रूप में राज्यों में इसका कोई अस्तित्व नहीं है। 1974 में तत्कालीन संसद सदस्य कृष्ण कान्त ने चुनावों में होने वाले वास्तविक खर्च के सम्बन्ध में कहा था, "लोकसभा सदस्य को अपने चुनाव में ईमानदारी के साथ 30 से 40 लाख रुपये खर्च करने पड़ते हैं औसतन 65 करोड़ रुपया लोकसभा के चुनावों पर खर्च होता है और लगभग 135 करोड़ रुपया विधानसभा चुनावों पर।"9 उपरोक्त कथन 1974 में कहा गया था आज 2024 में निश्चित तौर से इसमें और अधिक वृद्धि हो गयी है।

पन्द्रहवीं लोकसभा 2009 के "चुनाव में जो सबसे अहम मुद्दा बना, वह है विदेशी बैंकों में जमा भारतीयों का कालाधन। लगभग सभी दल अब इस धन को वापस लाने की बात करने लगे हैं, लेकिन प्रजातन्त्र की आधारशिला चुनाव प्रक्रिया भी इस कालेधन से अछूती नहीं है। अतः जब चुनाव भारी-भरकम चन्दा वसूल करके, धन का दुरुपयोग करके लड़े जाते हो तो अन्त में परिणाम काले धन का सृजन ही होता है। सरकारी तन्त्र इसमें कितना लिप्त होता है, यह सर्वविदित है। ऐसी स्थिति में दूसरे देशों में जमा कालेधन को वापस लाने का मुद्दा कितना अर्थवान है, इसकी सहज ही कल्पना की जा सकती है।"[10]

आचार संहिता का उल्लंघन

चुनाव आयोग द्वारा निष्पक्ष एवं स्वतन्त्र चुनावों के आयोजन हेतु आदर्श चुनाव आचार संहिता के पालन हेतु जिला निर्वाचन अधिकारी के माध्यम से प्रयास किए जाते है, किन्तु फिर भी लोकसभा चुनावों में इसके उल्लंघन की शिकायतें आती रहती हैं। विशेषकर जाति, धर्म, लिंग, भाषा के आधार पर वोट देने की अपील करना, मतदाताओं को प्रभावित करने के उद्देश्य से भोजन, शराब, धनराशि, प्रलोभन जैसी अवांछित गतिविधियों का उपयोग, सार्वजनिक सम्पति एवं धार्मिक स्थलों का चुनावी बैठकों एवं सभाओं हेतु उपयोग, मतदान केन्द्र की 200 मीटर की परिधि में प्रचार सामग्री का उपयोग, मतदान के दिन मतदाताओं को वाहनों में भरकर लाना-ले जाना, 200 मीटर की परिधि में मतदान दिवस को वाहनों का प्रवेश, मतदान केन्द्र में मोबाइल पर बात आदि कुछ सामान्य उदाहरण है जो आमतौर पर प्रत्येक चुनाव में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के रूप में नजर आ जाते हैं।

15वीं लोकसभा के चुनावों में भी इस तरह की आचार संहिता के उल्लघंन के नजारे नजर आए। "भारत निर्वाचन आयोग की ओर से मतदान केन्द्रों के अन्दर मोबाइल ले जाने की मनाही थी। इसके बावजूद जोधपुर शहर विधानसमा के कई बूथों पर पोलिंग एजेन्ट व मतदानकर्मी सहजता से मोबाईल पर बातचीत कर रहे थे। यहाँ तक कि कई मतदाता भी बातचीत में मशगूल थे। चुनाव आयोग ने बूथ से 100 मीटर की परिधि तक निजी वाहनों के आवागमन पर रोक लगाई थी। इसके बावजूद कई मतदान केन्द्रों के बाहर ही वाहन खड़ा करके मतदाता अन्दर जा रहे थे। सिवांची गेट स्थित मतदान केन्द्र के अन्दर वाहन ले जाने को लेकर पुलिस से मतदाताओं की तकरार हुई बाद में पुलिस ने मुख्य गेट पर पहरा लगा दिया। रातानाडा में भास्कर चौराहे के पास स्थित एक बूथ पर सवेरे करीब सवा दस बजे कुछ उत्साही युवक समूह के रूप में प्रत्याशी के पक्ष में नारे लगाते हुए वोट देने पहुंचे। स्कूल में स्थित बूथ के मुख्य द्वार तक पहुंचते ही वहाँ मौजूद सुरक्षाकर्मियों और अन्य लोगों ने आचार संहिता का वास्ता देकर उन्हें चुप करा दिया।"[11] ये मात्र एक शहर के कुछ बूथों पर हुई आदर्श आचार-संहिता के उल्लंघन की घटनाओं के उदाहरण है। पूरे देश में मतदान के दिन एवं उससे पूर्व प्रचार के दौरान ऐसी अनेक घटनाएं घटित होती हैं। जो आदर्श आचार संहिता को धत्ता बताती प्रतीत होती है।

चुनाव विश्लेषण संस्था एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म एडीआर द्वारा 25 मई 2019 शनिवार को लोकसभा चुनाव परिणाम सम्बन्धी जारी अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार "17 वीं लोकसभा के लिए 2019 में चुनकर संसद पहुँचने वाले 542 सांसदों में से 233 यानी 43 प्रतिशत सांसद दागी छवि के है। 2009, 2014 और 2019 के आम चुनाव में जीते आपराधिक मामलों में शामिल सांसदों की संख्या में 44 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। 542 सांसदों में से 233 यानी 43 प्रतिशत सांसदों के खिलाफ आपराधिक मुकदमे लंबित है। हलफनामों के हिसाब से 159 यानी 29 प्रतिशत सांसदों के खिलाफ हत्या, बलात्कार और अपहरण जैसे गंभीर मामले लंबित है। 2009 में यह संख्या 76 थी, इस प्रकार इस संख्या में 109 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। इसमें लगभग सभी दलों के सदस्य है।"[12] 16वीं लोकसभा में 34 प्रतिशत दागी थे। 2014 के चुनाव में ऐसे सांसदों की संख्या 185 (34 प्रतिशत) थी, 112 सांसदों पर गंभीर केस थे।

वर्ष 1993 में वोहरा समिति की रिपोर्ट और वर्ष 2002 में संविधान के कामकाज की समीक्षा करने के लिए राष्ट्रीय आयोग NCRWC की रिपोर्ट ने पुष्टि की है कि भारतीय राजनीति में गंभीर आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों को संख्या बढ़ रही है। 2004 में आपराधिक पृष्ठ भूमि वाले सांसदों की संख्या 128 थी, 2009 में 162, 2014 में 185 और 2019 में 233 हो गई है।

बढ़ते अपराधीकरण के कारण

- पैसा, बाहुबल चुनाव जीतने का साधन
- अपराधिक पृष्ठभूमि वाले के पास पैसे की अधिकता
- राजनीतिक दलों में आन्तरिक लोकतन्त्र का अभाव। स्थानीय स्तर की रिपोर्ट को अधिक महत्व नहीं।
- न्याय में (निर्णय में) देरी
- निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली में कमी
- नागरिक समाज का सजग नहीं होना
- नैतिकता और मूल्यों का ह्रास
- सामाजिक दृष्टिकोण में बदलाव

बढ़ते अपराधीकरण के प्रभाव

- लोकतन्त्र की गुणवता पर नकारात्मक प्रभाव
- चुनावों में काले धन का प्रयोग
- जांच प्रकियाएँ धीमी
- सार्वजनिक जीवन में बढ़ता भ्रष्टाचार
- हिंसा को प्रोत्साहन

जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में कमियां

हालाँकि आपराधिकरण को रोकने हेतु जनप्रतिनिधित्व अधिनियम में विभिन्न प्रावधान है फिर भी उसमें कुछ कमियां है जिनका फायदा आपराधिक तत्व उठाते है।

- धारा-8, दोषी राजनेताओं को चुनाव लड़ने से रोकती है, लेकिन ऐसे नेता जिन पर केवल मुकदमा चल रहा है वे चुनाव लड़ने के लिए स्वतन्त्र है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन पर लगा आरोप कितना गंभीर है।
- धारा-8(1)-8(2) यदि कोई सांसद या विधायक हत्या, बलात्कार अस्पृश्यता, विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के उल्लंघन, धर्म, भाषा या क्षेत्र के आधार पर शत्रुता पैदा

करना, भारतीय संविधान का अपमान करना, प्रतिबन्धित वस्तुओं का आयात या निर्यात करना, आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होना जैसे अपराधों में लिप्त होता है तो उसे इस धारा के अन्तर्गत अयोग्य माना जाएगा एवं 6 वर्ष की अवधि के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।

- धारा-8(3) उपर्युक्त अपराधों के अलावा किसी भी अन्य अपराध के लिए दोषी ठहराए जाने वाले किसी भी विधायिका सदस्य को यदि दो वर्ष से अधिक के कारावास की सजा सुनाई जाती है तो उसे दोषी ठहराए जाने की तिथि से अयोग्य माना जाएगा। उसे सजा पूरी करने की तिथि से 6 वर्ष तक अयोग्य माना जाएगा।

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राजनीति में अपराधीकरण रोकने हेतु विभिन्न निर्णय

2002-भारत सरकार/एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म वाद-

"संसद, राज्य विधानसभाओं या नगर निगम के लिए चुनाव लड़ने वाले प्रत्येक उम्मीदवार को अपनी आपराधिक, वित्तीय और शैक्षणिक पृष्ठ भूमि की घोषणा करना अनिवार्य।"[13]

2005-रमेश दलाल/ भारत सरकार "सांसद या विधायक को दोषी ठहराए जाने पर चुनाव लड़ने से अयोग्य ठहराया जाएगा, और उसे अदालत द्वारा 2 वर्ष से कम कारावास की सजा नहीं दी जाएगा।"[14]

2013-लिली थॉमस बनाम भारत सरकार "जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 (4) असंवैधानिक है जो दोषी ठहराए गए सांसदों व विधायकों को तब तक पद पर बने रहने की अनुमति देती है, जब तक कि ऐसी सजा के विरुद्ध की गई अपील का निपटारा नहीं हो जाता।"[15]

बढ़ते अपराधीकरण को रोकने हेतु सुझाव

- गंभीर आपराधिक मुकदमों वाले अपराधियों के दोष मुक्त होने तक निर्वाचन लड़ने पर रोक लगे।
- चुनाव प्रचार हेतु खर्च की निर्धारित सीमा को सख्ती से लागू किया जाए।
- राजनीतिक दलों में आन्तरिक लोकतन्त्र बहाल किया जाए। स्थानीय स्तर की रिपोर्ट को महत्व दिया जाए।
- न्यायालय द्वारा शीघ्र एवं तुरन्त निर्णय दिया जाए। अधिक समय तक मुकदमे लम्बित रहते हुए चुनाव लड़ने पर पाबन्दी हो।
- निर्वाचन आयोग कार्यप्रणाली में सुधार करे।
- आम नागरिक सजग रहे एवं सतत जागरुक रहे।
- जन-जन में नैतिकता जागृत की जाए एवं मानवीय मूल्यों का विकास हो।
- अपराधियों के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण में पुनः परिवर्तन हेतु प्रयास किए जाए।
- जांच प्रक्रियाओं में तेजी लाई जाए।
- भयमुक्त वातावरण का निर्माण हो।

निष्कर्ष

कुल मिला कर कहा जा सकता है कि राजनीति का अपराधीकरण भारतीय निर्वाचन व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगाता नजर आता है। भारतीय राजनीति एवं निर्वाचन व्यवस्था में अपराधीकरण लगातार बढ़ रहा है। किन्तु भारतीय संवैधानिक संस्थाएँ निर्वाचन आयोग, न्यायपालिका आदि, अपराधीकरण को रोकने और निर्वाचनों की पवित्रता को बनाए रखने के लिए तत्पर है। अपराधीकरण रोकने हेतु जनप्रतिनिधित्व अधिनियम में निरन्तर संशोधन होते रहे है। संवैधानिक संस्थाएँ अपराधीकरण के रोकने हेतु प्रयासरत है। आशा की जानी चाहिए कि आम आदमी का साथ इन संवैधानिक संस्थाओं को मिलेगा और भारत में निर्वाचनों की पवित्रता बनी रहेगी।

सन्दर्भ सूची

1. द हिन्दुस्तान टाईम, 29 अगस्त, 1997
2. जैन, डॉ. पुखराज एवं फडिया, डॉ. बी.एल., भारतीय शासन एवं राजनीति, साहित्य भवन प्रकाशन, 1992, पृ.सं. 748
3. इनसे छुटकारा नहीं, इण्डिया टुडे, 3 जून, 2009, पृ.सं. 21
4. हिंसा के साये में मतदान, दैनिक भास्कर, संपादकीय, 17 अप्रैल, 2009, पृ.सं. 8
5. सुरक्षा बलों की गोली से एक जने की मौत, राजस्थान पत्रिका, 8 मई 2009, पृ.सं. 1
6. लोकतन्त्र पर प्रहार, राजस्थान पत्रिका, 8 मई 2009, संपादकीय, पृ.सं. 6
7. हिंसा के साये में मतदान, पूर्वोक्त, पृ.सं. 8

8. जैन, डॉ. पुखराज एवं फडिया, डॉ. बी.एल., पूर्वोक्त, पृ.सं. 638
9. कृष्ण कान्त, लेजिटीमेट पॉलिटिक्स 1, 2, 3, दिसम्बर 25, 27, 28, 1984
10. शर्मा, रामलाल, क्या सच में हमारे राजनेता कालेधन की भयावहता से परिचित है? दैनिक भास्कर, 23 अप्रैल 2009, पृ.सं. 8
11. पोंलिग बूथ से आखंन देखी, राजस्थान पत्रिका, 8 मई 2009, पृ.सं. 4
12. एडीआर रिपोर्ट, 25 मई 2019
13. भारत सरकार/एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म वाद-2002
14. रमेश दलाल/भारत सरकार-2005
15. लिली थॉमस बनाम भारत सरकार-2013